

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)  
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
 नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
 मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
 क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,  
 लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/155629/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPR 018/2023-BHO/ दिनांक 27.12.2023

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The population at both the end of the proposed road is already been connected by the existing road of "lanji-kheragad road" so the purpose of this road is not clear. Further, it is seen in the KML that there is no population being benefited along the proposed alignment. so the unnecessary break up of the forest land and felling of 244 trees can be avoided. The comment of the concerned DFO shall be submitted in this regard with detailed justification for road because the justification provided is not satisfactory.	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण बालाघाट ने अपने पत्र दिनांक 25.01.2024 से अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग का निर्माण नक्सल उन्मूलन की दृष्टि से उपयोगी है। मार्ग के निर्माण से आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन भी होगा एवं साथ ही वनोपज सामग्री की निकासी तथा वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को गश्ती करने में सुगमता होगी। साथ ही ग्रामीणों को आवागमन सुविधा, नक्सली उन्मूलन एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उपयुक्त है। प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा कम से कम वृक्षों को क्षति पहुंचाई जायेगी।
2	The DFO may also submit the status of road as per the approved working plan.	वन मण्डलाधिकारी दक्षिण बालाघाट ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग वन मण्डल में प्रचलित कार्य आयोजना में वनमार्ग के रूप में उल्लेखित नहीं है, परन्तु प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट में दर्शित है एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।

3	<p>The total area of various proposals in this region is more than 40.00 ha in consolidation in the same division and by the same agency therefore it is better to have the site visit report of the concerned CF/CCF for better understanding of the area and the requirement of the road.</p>	<p>वन संरक्षक बालाघाट ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग में 16.65 हेक्टेयर वनभूमि अर्थात् 40.00 हेक्टेयर से कम वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः CF/CCF के स्थल निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।</p>
4	<p>The comment of CWLW shall be submitted</p>	<p>प्रस्तावित मार्ग टाडोबा-इंद्रावती टाइगर कॉरिडोर के अन्तर्गत होने के कारण मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)से अभिमत चाहा गया। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) ने अपनी अशसकीय टीप दिनांक 15.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अभिमत प्रदान किया है कि प्रकरण में ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स प्लान (पैसेज प्लान) वन्यप्राणी अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।</p>
5	<p>The area proposed for CA also includes area provided for other proposals that can create confusion in near future when monitoring of the area will be planned. Therefore it is suggested to have separate proposal wise CA scheme and KML file with proper demarcation in such cases shall be submitted / uploaded.</p>	<p>वन मण्डलाधिकारी ने अवगत कराया है कि प्रकरण में कलेक्टर बालाघाट के आदेश दिनांक 12.12.2022 द्वारा 04 प्रकरणों हेतु 82.00 हेक्टेयर क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु एकजाई गैर वनभूमि (छोटे-बड़े झाड़ का जंगल मद्) उपलब्ध कराई गई है। जिसके ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक निम्नानुसार है:-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1)FP/MP/Road/155479/2022 रकबा 7.290 हे.</li><li>(2)FP/MP/Road/155629/2022रकबा 16.650 हे.</li><li>(3)FP/MP/Road/156164/2022 रकबा 12.690 हे.</li><li>(4)FP/MP/Road/413102/2023रकबा 3.960 हे.</li></ol> <p>उपरोक्त 04 प्रस्तावों की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है।</p>




Status of clearance of Wildlife needs to be submitted	<p>प्रस्तावित मार्ग टाडोबा-इंद्रावती टाइगर कॉरीडोर के अन्तर्गत होने के कारण मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)से अभिमत चाहा गया। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) ने अपनी अशसकीय टीप दिनांक 15.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अभिमत प्रदान किया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रकरण में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति आवश्यक होगी। इस संबंध में आवेदक संस्थान को वन्यप्राणी अनुमति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने हेतु लेख किया गया है।</p> <p>अतः प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति में वन्यप्राणी अनुमति प्राप्त करने की शर्त अधिरोपित करने का अनुरोध है।</p>
---	---

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


  
(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1256/2023/10-11/1648  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 20-3-24

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण बालाघाट मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, सिविल लाईन, बालाघाट, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं.-(07632-248414)  
email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ 654  
प्रति,

बालाघाट, दिनांक 25/01/2024

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,  
(भू-प्रबंध)  
वन भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय:- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी पुरम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.850 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट का उपयोग पर वन बाधत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/155629/2022)  
आवेदक विभाग - महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक- 1, 2, बालाघाट (म.प्र.)

संदर्भ :- महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक- 1, 2, बालाघाट (म.प्र.) का पत्र पृ.क्रमांक/204/तक/मप्र.प्रासविप्रा/2024 दिनांक 25.01.2024

—00—

निवेदन है, कि संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में आयोजित ERCM की बैठक दिनांक 12.01.2024 के कार्यवाही विवरण में दिये गये निर्देशानुसार आवेदक विभाग द्वारा प्रकरण में उद्यमवर्जन हेतु चिन्हित वन एवं गैर वनभूमि की के.एम.एल. फाईल में आवश्यक संशोधन का पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

निर्देशानुसार प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एकजाई प्राप्त गैर वनभूमि की के.एम.एल. एवं आर.डी.एफ. वन क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु एकजाई प्रस्तावित के.एम.एल. फाईल में प्रस्ताववार सी.ए. के लिए आवंटित सीमा को रेखांकित किया जाकर के.एम.एल. फाईल पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। विषयांकित प्रस्तावित सड़क मार्ग का भाग वनकक्ष क्रमांक 340, 341A, 341B, में कान्हा-इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर अन्तर्गत आ रहा है।

अतएव प्रतिवेदन आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

(मीना कुमारी मिश्रा)  
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट  
बालाघाट, दिनांक 25/01/2024

पृष्ठा. क्रमांक/मा.चि./ 655  
प्रतिलिपि :-

- (1) वनसंरक्षक, बालाघाट वनकक्ष (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित संबंध में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- (2) वनमंडलाधिकारी, उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संबंध में सूचनार्थ अग्रप्रेषित।
- (3) आवेदक विभाग - महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक- 1 एवं 2, बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भांकित आपके पत्र पृ.क्रमांक/204/तक/म.प्र.प्रासविप्रा/2024 दिनांक 25.01.2024, के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित।

(मीना कुमारी मिश्रा)  
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट



उपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
(वन्यप्राणी)  
भोपाल (म.प्र.)

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.650 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/155629/2022  
आपका पत्र क्रमांक / व.प्रा. / व.त.अ.-1 / GEN-553/453, 454 दिनांक 15/01/2024.

—00—

निवेदन है, कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई वांछित जानकारी के संबंध में लेख है कि विषयांतर्गत सड़क मार्ग के वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्तावित प्रकरण में दक्षिण बालाघाट (सा.) वनमंडल के वन परिक्षेत्र पूर्व में अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 331, 336, 337, 338, 327, 339, 340, 341A, 341B, में लम्बाई 18500 मीटर, चौड़ाई 16.650 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है। संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देश के परिपालन में NTCA के वेबसाईड में विषयांतर्गत KML का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि विषयांकित प्रस्तावित सड़क मार्ग का भाग वनक्षेत्र क्रमांक 340, 341A, 341B, में कान्हा-इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर अन्तर्गत आ रहा है। उपर्युक्त मार्ग की KML File एवं कॉरिडोर की KML अवलोकनार्थ संलग्न सम्प्रेषित है।

विषयांकित प्रस्तावित परियोजना में उपर्युक्त प्रभावित वनभूमि में वन एवं वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले सड़क को कम करने हेतु ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE को BMLDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स के प्रावधान अन्तर्गत प्रस्तावित सड़क मार्ग क्षेत्र में वन्यप्राणियों एवं चैनलिंग फॉरम की आवश्यकता नहीं है। परन्तु उक्त प्रस्तावित सड़क मार्ग क्षेत्र में प्रत्येक 1 Km. अन्तराल पर संकेतिक बोर्ड एवं प्रत्येक 1 km. अन्तराल पर गतिअवरोधक, आवेदक विभाग / संस्थान- महाप्रबंधक, सड़क ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, बालाघाट, द्वारा परियोजना व्यय पर कनडे द्वारा ही बनाया जाना प्रस्तावित है। कृपया प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- KML File एवं कॉरिडोर की KML

(मीना कुमारी मिश्रा)  
भा.व.सं.

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट  
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 19/01/2024

पत्र क्रमांक / मा.वि. / 571

प्रतिलिपि :-


1. वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक / व.प्रा. / व.त.अ.-1 / GEN-553/453, 454 दिनांक 15/01/2024, जिसकी प्रतिलिपि आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. उपवनमंडलाधिकारी लाजो (सा.) उपवनमंडल एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लाजो (सा.) परिक्षेत्र की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित तासतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(मीना कुमारी मिश्रा)  
भा.व.सं.

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट  
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

OK







# कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं.-(07632-248414)  
email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक / मा.वि. / 656  
मिति.

बालाघाट, दिनांक 25/01/2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
(भू-प्रबंध)  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।

(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/155629/2022)

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / एफ-5 / 1256 / 2023 / 10-11 / 01, 02 दिनांक 01.01.2024

—00—

निवेदन है, कि विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई वांछित जानकारी आवेदक विभाग-महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक-1, बालाघाट द्वारा उनके पत्र क्रमांक/204/तक / मप्रग्रासविप्रा/2024 दिनांक 25.01.2024 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। (उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न) अतएव प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 06 बिन्दुओं पर जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The population at both the end of the proposed road is already been connected by the existing road of "lanji-kheragad road" so the purpose of this road is not clear. Further it is seen in the KML that there is no population being benefited along the proposed alignment so the unnecessary break up of the forest land and felling of 244 trees can be avoided. The comment of the concerned DFO shall be submitted in the regard with detailed justification for road because the justification provided is not satisfactory.	प्रस्तावित मार्ग बोदादलखा से धीरी मुरुम मार्ग का निर्माण नक्सल उन्मुलन की दृष्टि से उपयोगी है। मार्ग के निर्माण से आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन भी होगा एवं साथ ही वनोपज सामग्री की निकासी तथा वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को गश्ती करने में सुगमता होगी। प्रस्तावित सड़क मार्ग के निर्माण से जनहित एवं ग्रामीणों को आवागमन सुविधा, नक्सली उन्मुलन एवं क्षेत्र के सामूहिक विकास की दृष्टि से उपयुक्त है। तथा उक्त मार्ग के संकीर्ण आवेदक विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है, कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान हर संभव प्रयास कर कम से कम पेड़ों को क्षति पहुँचाई जायेगी।
2	The DFO may also submit the status of road as per the approved working plan.	वनमंडल में प्रचलित अनुमोदित कार्य आयोजना में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग वनमार्ग के रूप में उल्लेखित नहीं है। परन्तु उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोग्रफी शीट में दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
3	The total area of various proposals in this region is more than 40.00 ha. in consolidation in the same division and by the same agency therefore it is better to have the site visit report of the concerned CF/CCF for better understanding of the area and the requirement of the road.	मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त बालाघाट के पत्र क्रमांक/तक. कक्ष/29 दिनांक 08.01.2024 में उक्त संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
4	The comment of CWLW shall be submitted.	प्रस्तावित सड़क मार्ग का भाग वनकक्ष क्रमांक 340, 341A, 341B, में कान्हा-इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर अन्तर्गत आ रहा है। उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.वि./570 दिनांक 19.01.2024 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल म.प्र. की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

<p>The area proposed for CA also includes area provided for other proposals that can create confusion in near future when monitoring of the area will be planned. Therefore it is suggested to have separate proposal wise CA scheme and KML file with proper demarcation in such case shall be submitted/uploaded.</p>	<p>आवेदक विभाग/संस्थान द्वारा कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0033/अ-59 वर्ष 22-23 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूर्क वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उम्तलक कराई गई गैर वनभूमि (बड़े झाड़ वा जंगल) ग्राम-घुम्पुर, प.ह.नं. 63, तह. बिरसा, जिला बालाघाट के खसरा नं. 25/1क/1 के कुल रकबा 96.837 हे० में से 82.00 हे० (04 प्रस्तावों के लिए समंकित</p> <p>(1) FP/MP/Road/155629/2022 रकबा 16.650 हे०  (2) FP/MP/Road/156164/2022 रकबा 12.690 हे०  (3) FP/MP/Road/413102/2023 रकबा 3.960 हे०  (4) FP/MP/Road/155479/2022 रकबा 7.290 हे०) भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना चारों प्रस्तावों के लिए एकजाई बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त चारों प्रस्तावों अन्तर्गत क्षतिपूर्क वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की एकजाई को एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है। पृथक-पृथक प्रस्ताव अनुसार को एम.एल. फाईल संलग्न है।</p>
<p>6 Status of clearance of Wildlife needs to be submitted.</p>	<p>उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./570 दिनांक 19.01.2024 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल म.प्र. की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। आवेदक विभाग/संस्थान द्वारा वन्यप्राणी अभिमत की कार्यवाही की जावेगी।</p>

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(मीना कुमारी मिश्रा)  
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट

बालाघाट दिनांक 25/01/2024

पृ. क्रमांक/मा०चि०/ 657  
प्रतिलिपि:-

- 1 वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र जो आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
- 2 वनमंडलाधिकारी, उत्तर (सा.) वनमंडल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3 आवेदक विभाग- महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक-1, बालाघाट, की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित संबंध में आपके पत्र क्रमांक/204/तक/मप्रग्रासदा/2023 दिनांक 25.01.2024 द्वारा प्रेषित जानकारी के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(मीना कुमारी मिश्रा)  
भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट



कार्यालय महाप्रबंधक

म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, बालाघाट  
फोन नं.-07632 240334 ई मेल-gm\_bgpiul@rediffmail.com

पत्र क्र. 204 / तक / मप्रग्रासप्रा / 2024  
प्रति,

बालाघाट दिनांक 25 / 01 / 2024

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण (सा.) वनमंडल  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत बोदलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग पहुँच निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155629/2022 )

संदर्भ :- 1. आपका पत्र पृ. क्र. 133 दिनांक 04.01.2024  
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का प.क्र. एफ-5/1256/2023 /10-11/01 भोपाल दिनांक 01.01.2024  
3. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र./6-MPR018 2023-बीएचओ दिनांक 27.12.2023

00

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निदेशों के तहत 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में संबंधित वांछित जानकारियों का विवरण निम्नानुसार है:-


क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1.	The population at both the end of the proposed road is already been connected by the existing road of "lanji-kheragad road" so the purpose of this road is not clear. Further, it is seen in the KML that there is no population being benefited along the proposed alignment. So the un-necessary break up of the forest land and felling of 244 trees can be avoided. The comment of the concerned DFO shall be submitted in this regard with detailed justification for road because the justification provided is not satisfactory.	बोदलखा से धीरी मुरुम मार्ग का निर्माण भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई. योजनान्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। मार्ग का निर्माण होने पर पुलिस प्रशासन को सार्जन के लिए सुविधा एवं जोखिम से मुक्त होगी। यह मार्ग स्टेट कनेक्टिविटी से भी संबंधित है जो कि छत्तीसगढ़ सीमा तक जा रहा है जिससे छत्तीसगढ़ तक सम्पर्कता स्थापित होगी। नक्सली गतिविधियों में राज्यों के आपसी समन्वय स्थापित कर अंकुश लगाया जायेगा। मार्ग के निर्माण से आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन भी होगा एवं साथ ही वनोंपज सामग्रों की निकासी तथा वन विभाग के अधिकारियों को गश्ती करने में सुगमता होगी। सड़क निर्माण में आवेदक विभाग हर संभव सह प्रयास करेगा कि निर्माण कार्य के दौरान कम से कम पेड़ों में क्षति पहुँचाया जाय।
2.	The DFO may also submit the status of road as per the approved working plan.	प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रूप में उल्लेखित है। उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोग्रीफी में भी दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
3.	The total area of various proposals in this region is more than 40-00 ha in consolidation in the sae division and by the same agency therefore it is better to have the site visit report of the concerned CF/CCF for better understanding of the area and the requirement of the road.	मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त बालाघाट के पत्र क्रमांक 29/तक बालाघाट दिनांक 08.01.2024 में उक्त संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
4.	The comment of CWLW shall be submitted.	-


<p>5. The ara proposed for CA alos includes area provided for other proposals that can created confusion in near future when monitoring of the area will be planned. Therefore it is suggested to have separate proposal wise CA scheme and KML file with propoer demarcation in such cases shall be submitted/ uploaded.</p>	<p>कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0033/अ-59 वर्ष 22-23 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) ग्राम-धुम्मुर, प.ह.न. 63, तह. बिरसा, जिला बालाघाट के खसरा नं. 25/1क/1 के कुल रकबा 96.837 हे० में से 82.00 हे० (04 प्रस्तावों के लिए समेकित</p> <p>(1) FP/MP/Road/156164/2022 रकबा 12.690 हे०  (2) FP/MP/Road/155629/2022 रकबा 18.650 हे०  (3) FP/MP/Road/413102/2023 रकबा 3.960 हे०  (4) FP/MP/Road/155479/2022 रकबा 7.290 हे०) भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना चारों प्रस्तावों के लिये एकजाई बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त चारों प्रस्तावों अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की एकजाई के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है। पृथक-पृथक प्रस्ताव अनुसार के.एम.एल. फाईल संलग्न है।</p>
<p>6. Status of clearance of Wildlife needs to be submitted.</p>	

पृ. क्र. 205 / तक / मप्र.ग्रा.स.वे.प्रा. / 2024  
प्रतिलिपी:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में चाही गई वांछित बिन्दुओं की जानकारी पत्रक एवं परिशिष्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
2. मुख्य वन संरक्षक महोदय बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट  
बालाघाट, दिनांक 25/01/2024

  
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट





कार्यालय मुख्य वन संरक्षक  
वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश - 481001

Email- ccf.bgt@mp.gov.in, दूरभाष : 07632-241201 फैक्स : 07632-240268

क्रमांक/तक. कक्ष/29  
प्रति,

बालाघाट, दिनांक : 08/01/2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
(कक्ष भू-प्रबंध)  
म.प्र., भोपाल

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के तहत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/155629/2022)

संदर्भ :- आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/एफ-5/1256/2023/10-11/02 दिनांक 01.01.2024.

-0-

निवेदन है कि उपर्युक्त विषयातर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र क्र. 6-एमपीआर 018/2023-डीएचओ दिनांक 27.12.2023 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक-03 की जानकारी निम्नानुसार संप्रेषित है :-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
3	The total area of various proposals in this region is more than 40.00 ha in consolidation in the same division and by the same Agency therefore it is better to have the site visit report of the concerned CF/CCF for better understanding of the area and the requirement of the road.	विषयांकित प्रकरण में कुल 16.65 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है, संशोधित वन (संरक्षण) नियम, 2022 के नियम 9 के उपनियम 4(ब) पृष्ठ क्र. 07 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार जिन प्रकरणों में 40.00 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि सम्मिलित है, उनका क्षेत्रीय निरीक्षण संबंधित वनसंरक्षक द्वारा किया जाना है। चूंकि उक्त प्रकरण में 16.65 हेक्टेयर वनभूमि अर्थात् 40 हेक्टेयर से कम वनभूमि प्रभावित होने के कारण CF/CCF के स्थल निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

( प्र.पी.एस. सैगर )

मा.व.से.

वन संरक्षक

वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

बालाघाट, दिनांक : 08/01/2024

पृष्ठा. क्रमांक/तक.कक्ष/30

प्रतिलिपि :-

- वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- आवेदक विभाग/संस्थान:-महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-1 बालाघाट म.प्र. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वन संरक्षक

वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

भू-तल, सी-ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003  
दूरभाष : 0755-2674248, 2524275, फ़ैक्स : 0755-2766315 फ़ैक्स : 0755-2766315E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/माचि-1/WL/LM-14/2336  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16-3-2024

महाप्रबंधक,  
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई-01, बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.650 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/Road/155629/2022)

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/63/तक/मप्रप्रासप्रा/2024 दिनांक 05.01.2024

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.650 हे0 वनभूमि व्यवर्तन के प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी पत्र दिनांक 05.09.2023 के बिन्दु क्रमांक 07- As per DSS analysis the proposed diversion area touches Tadoba Indrawati Tiger corridor. Comments of CWLW shall be submitted के संबंध में अभिमत चाहा गया है।

उक्त संबंध में वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सामान्य बालाघाट का पत्र क्रमांक/माचि/1809-1810 दिनांक 05.03.2024 जोकि आपको सम्बोधित कर इस कार्यालय को पृष्ठांकित किया गया है। उक्त प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण परियोजना में दक्षिण बालाघाट, (सामान्य) वनमण्डल के परिक्षेत्र परिक्षेत्र पूर्व लांजी के वनकक्ष क्रमांक 331, 336, 337, 338, 327, 339, 340, 341A एवं 341B में मार्ग की कुल लम्बाई 18500 मीटर रकबा 16.650 हेक्टेयर प्रभावित हो रहा है, जिसमें से लम्बाई 130 मीटर वनक्षेत्र कान्हा-नागझीरा-टाडोबा-इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर के अंतर्गत आता है। अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2022 के कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उक्त वनकक्षों में से वन कक्ष क्रमांक 336, 327, 341A एवं 341B में बाघों की उपस्थिति दर्ज है।

अतः प्रस्तावित मार्ग निर्माण परियोजना में प्रभावित वनक्षेत्रों में वन एवं वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु भारत सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा जारी दिशा निर्देश ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स प्लान (पैसेज प्लान) वन्यप्राणी अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तावित मार्ग कान्हा-नागझीरा-टाडोबा-इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर के अंतर्गत होने से मार्ग निर्माण हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु वन्यप्राणी पैसेज प्लान सहित परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करे ताकि आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सके। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

(शुभरंजन सेन)

प्रभारी मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं  
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.

पू0 क्रमांक/माचि-1/WL/LM-14/2337

प्रतिलिपि :-1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रकरण में आवेदक संस्था से परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करने का कष्ट करे।

प्रभारी मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं  
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.



कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमंडल बालाघाट म.प्र.



दूरभाष नं - (07632-248414)  
email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./  
दिनांक

1809

बालाघाट, दिनांक 05/03/2024

महाप्रबंधक,  
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,  
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्रमांक- 1, बालाघाट  
जिला- बालाघाट (म.प्र.)

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.650 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक /FP/MP/Road/155629/2022)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/माचि-1/WL/LM-14/1323, 1324 दिनांक 13.02.2024, एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./570, 571 दिनांक 19.01.2024

—00—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्रों (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में लेख है, कि विषयांकित प्रस्तावित परियोजना में वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी (सा.) अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 331, 336, 337, 338, 327, 339, 340, 341A, 341B, में लम्बाई 18500 मीटर, रकबा 16.650 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि, में से वनकक्ष क्रमांक 340, 341A, 341B, में मात्र 130 मीटर का भाग कान्हा-नागझीरा-ताडोबा-इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर अन्तर्गत आता है। जिसमें कार्यालयीन अभिलेखों में अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2022 के अनुसार कक्ष क्रमांक- 336, 327, 341A, 341B, में बाघ की उपस्थिति दर्ज है।

अतएव उपरोक्त विषयांकित प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित वनभूमि में वन एवं वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE OR WILDLIFE के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु Mitigation Plan, Wild life Clearance के लिये Parivesh Portal के माध्यम से प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(मीना कुमारी मिश्रा)

भोपाल

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 05/03/2024

पृष्ठा क्रमांक/मा.चि./ 1810

प्रतिलिपि :-

- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- (2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- (3) वनसंरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित संबंध में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

(मीना कुमारी मिश्रा)

भोपाल

वनमंडलाधिकारी

दक्षिण (सा.) वनमंडल, बालाघाट

3005  
7/31/2024

छत्तीस-२ सचिवालय

विषय :

ग. वन मंत्रीजी,  
का विभाग  
(कक्ष - 3)

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।

पूर्व पृष्ठ से:-

उक्त प्रकरण में वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल द्वारा पत्र क्रमांक माचि/1809-1810 दिनांक 05.03.2024 से प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार बिंदु क्रमांक 04 एवं 06 की जानकारी निम्नानुसार है-

बिंदु क्रमांक 04 - प्रस्तावित बोदादलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण परियोजना में दक्षिण बालाघाट (सामान्य) वनमण्डल के परिक्षेत्र पूर्व लांजी के वनकक्ष क्रमांक 331, 336, 337, 338, 327, 339, 340, 341A एवं 341B में मार्ग की कुल लम्बाई 18500 मीटर रकबा 16.650 हेक्टेयर प्रभावित हो रहा है, जिसमें से लम्बाई 130 मीटर वनक्षेत्र कान्हा-नागझीरा-टाडोबा-इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर के अंतर्गत आता है। अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2022 के कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उक्त वनकक्षों में से वन कक्ष क्रमांक 336, 327, 341A एवं 341B में बाघों की उपस्थिति दर्ज है।

अतः प्रस्तावित मार्ग निर्माण परियोजना में प्रभावित वनक्षेत्रों में वन एवं वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने हेतु भारत सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा जारी दिशा निर्देश **ECO-FRIENDLY MEASURES TO MITIGATE IMPACTS OF LINEAR INFRASTRUCTURE ON WILDLIFE** के अनुसार वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु मिटिगेशन मेजर्स प्लान (पैसेज प्लान) वन्यप्राणी अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

बिंदु क्रमांक 06 - प्रस्तावित मार्ग कान्हा-नागझीरा-टाडोबा-इंद्रावती टाईगर कॉरीडोर के अंतर्गत होने से मार्ग निर्माण हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। इस हेतु आवेदक संस्था से परिवेश पोर्टल के माध्यम से आन लाइन आवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में वन्यप्राणी अनुमति हेतु आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। वनमण्डल अधिकारी दक्षिण बालाघाट, सामान्य वनमण्डल के द्वारा संदर्भित पत्र से आवेदक संस्था को तदानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है।



विषय:- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत बोदलखा से धीरी मुरुम तक मार्ग निर्माण हेतु 16.65 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/155629/2022)

----0----

पूर्व पृष्ठ से .....

वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण बालाघाट, सामान्य वनमण्डल के द्वारा प्रेषित उक्त प्रतिवेदन/अभिमत से सहमति व्यक्त करते हुये इस कार्यालय का अभिमत मूल नस्ती सहित संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

(शुभरंजन सेन)

प्रभारी मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं  
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), म0प्र0

U.O.NO/Pdof (BC&CWL W) 275  
DATE 15/3/2024 M029-I

M029-I

15/03/24